

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-प.19(06)शिक्षा/2/2016 जयपुर दिनांक 08.11.2017 द्वारा जनजाति क्षेत्रिय विकास द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल रेजीडेन्शियल स्कूल एवं आश्रम छात्रावासों में चयनित निम्नांकित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति राजस्थान सेवा नियम 151 नियम 44 के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर विद्ये जाने की प्राप्त अनुमति के अनुसरण में निम्न कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. स.	कार्मिक का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति पद पर पदनाम	प्रतिनियुक्ति पर विधालय / छात्रावास का नाम
1	श्री भीमराज मीणा प्रधानाचार्य	राउमावि धरावण-फलासिया उदयपुर	प्रधानाचार्य	जनजाति आवासीय विधालय सलुम्बर उदयपुर
2	श्री मुकेश कुमार शर्मा प्रधानाचार्य	राबाउमावि कस्बाथाना बारा	प्रधानाचार्य	जनजाति आवासीय विधालय हनोतिया बारा
3	श्री रघुवीर प्रसाद मीणा प्रधानाचार्य	राउमावि शौरती-मनोहरथाना झालावाड	प्रधानाचार्य	जनजाति आवासीय विधालय रामगढ बारा
4	श्री भरतलाल पाटीदार प्रधानाचार्य	राउमावि धाटा का गांव डुंगरपुर	प्रधानाचार्य	आवासीय विधालय सागवाडा डुंगरपुर
5	श्रीमती प्रकाश पंडवाला प्रधानाचार्य	राउमावि ओडा बडा डुंगरपुर	प्रधानाचार्य	मॉडल पब्लिक रेजीडेन्शियल स्कूल सुरपुर डुंगरपुर

(स) / 2017-18
नथमल डिल्लल
आईएएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

दिनांक:- 28/11/17

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/बी-4/जनजाति/2010/वॉ.11

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर
2. आयुक्त जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग उदयपुर
3. संबधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा
4. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा
5. संबधित संस्था प्रधान/कार्मिक को पालनार्थ
6. प्रभारी प्रभाग बी-1/11/ए-5,6,8
7. रक्षित पत्रावली

(स) / 2017-18
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर